



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052026-272271
CG-DL-E-06052026-272271

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948

No. 120]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2026

सं.-ई.11011/3/2024-हिंदी.— भारत सरकार ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। इस समिति के सदस्य और कार्य निम्नानुसार होंगे :-

माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री	-	अध्यक्ष
माननीय कारपोरेट कार्य राज्यमंत्री	-	उपाध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

लोक सभा के सदस्य

1. श्री कृपानाथ मल्लाह, 108 और 110 नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 110001	-	सदस्य
---	---	-------

2. डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज, - सदस्य
38, जी.आर.जी. रोड नई दिल्ली 110001

राज्य सभा के सदस्य

3. श्री मयंक कुमार नायक, - सदस्य
27 नॉर्थ एवेन्यू डुप्लेक्स फ्लैट,
नई दिल्ली-110001
4. श्रीमती पी. टी. उषा, - सदस्य
फ्लैट संख्या 601, स्वर्ण जयंती सदन डीलक्स,
डॉ. विशम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली- 110001

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

5. डॉ. अजित माधवराव गोपछडे, - सदस्य
सांसद (राज्य सभा)
फ्लैट संख्या 201 ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स, डॉ. बी.डी. मार्ग, नई
दिल्ली - 110001
6. श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, - सदस्य
सांसद उत्तर कन्नड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र फ्लैट संख्या 401,
सरस्वती अपार्टमेंट, डॉ. बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

7. श्री राजेश चेतन, - सदस्य
पहला तल, प्लॉट सं.1, पॉकेट – 8ए,
बैंक ऑफ बड़ौदा के उपर,
सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली 110089
8. डा. प्रवीण शुक्ल, सदस्य
1/2355, प्रथम तल, राम नगर, शाहदरा,
दिल्ली-32

स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि

9. डॉ. श्याम सुन्दर कथूरिया, - सदस्य
(केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली)
एल-156, डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स

15, शिवाजी मार्ग, मोती नगर
नई दिल्ली – 110015

10. श्री दिलीप पटेल, - सदस्य
(विश्व हिंदी परिषद, नई दिल्ली)
एस-32, प्रथम तल, व्यावसायिक परिसर, ग्रीन पार्क,
उपहार सिनेमा के पास, नई दिल्ली-110016

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित

11. कर्नल एस. दिन्नी,
लक्षानम, वलथुंगल पोस्ट
कोल्लम, केरल - 691011 - सदस्य
12. श्री एस. मोहनकुमार,
नं. 4, पलानीसामी नगर,
विलियनपुर, पुदुचेरी- 605110 - सदस्य
13. डॉ. माधव प्रसाद,
सरस्वती विहार, वीरभट्टी,
बिष्ट स्टेट, नैनीताल-263127 - सदस्य

सरकारी सदस्य

14. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
15. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
16. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार
17. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार
18. कारपोरेट कार्य महानिदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
19. निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
20. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), आईईपीएफए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
21. महानिदेशक और सीईओ, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
22. अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
23. कार्यकारी निदेशक, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
24. अध्यक्ष, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

25. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
26. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
27. प्रादेशिक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय
28. वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय

- सदस्य सचिव

समिति के कार्य

इस समिति का कार्य संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम/नियमों के उपबंधों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी निदेशों के कार्यान्वयन के बारे में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए सलाह देना है।

कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन संबंधी संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि :-

- (1) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (2) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही इस समिति के सदस्य रहेंगे।
- (3) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान खाली होता है, तो उनके स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

यात्रा तथा अन्य भत्ते

(क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 अप्रैल, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं.11/22034/04/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय हो।

मुख्यालय

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा तथा बैठकों का आयोजन स्थल भी दिल्ली होता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शान्तनु मित्र, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
RESOLUTION

New Delhi, the 23rd April, 2026

No. E.11011/3/2024-Hindi.—The Government of India has decided to constitute Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Corporate Affairs. The Composition of the Samiti and its functions shall be as under:

Hon'ble Minister of Corporate Affairs	-	Chairperson
Hon'ble State Minister of Corporate Affairs	-	Deputy Chairman

Non-Official Members

Members of Lok Sabha

1. Shri Kripanath Mallah, - Member
108 & 110 North Avenue New Delhi NCT of Delhi
110001
2. Dr. Swami Sakshiji Maharaj, - Member
38, G.R.G. Road New Delhi 110001

Members of Rajya Sabha

3. Shri Mayank Kumar Nayak, - Member
27 North Avenue Duplex Flat,, New Delhi-110001
4. Smt. P. T. Usha, - Member
Flat No.601, Swarn Jayanti Sadan Deluxe,
Dr. Bishambar Das Marg, New Delhi- 110001

Representatives of Parliamentary Committee

5. Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade, - Member
Member of Parliament (Rajya Sabha)
Flat No. 201 Brahmaputra Complex, Dr. B.D. Marg,
New Delhi - 110001
6. Shri Vishweshwar Hegde Kageri, Member of - Member
Parliament Uttara Kannada Lok Sabha constituency.
Flat No. 401, Sarawathi Apartment, Dr B D Marg,
New Delhi 110001

Members nominated by the Ministry of Corporate Affairs

7. Shri Rajesh Chetan, - Member
1st Floor, Plot No. 1, Pocket-8A, Above Bank of Baroda, Sector-15, Rohini, Delhi 110089
8. Dr. Praveen Shukla, - Member
1/2355, First Floor, Ram Nagar, Shahdara, Delhi-32

Representatives of Voluntary Organisations

9. Dr. Shyam Sunder Kathuria, - Member
(Central Secretariat Hindi Council, New Delhi)
L-156, DLF Capital Greens
15, Shivaji Marg, Moti Nagar
New Delhi – 110015
10. Shri Dilip Patel, - Member
(Vishwa Hindi Parishad, New Delhi)
S-32, 1st Floor, Commercial Complex, Green Park,
Near Uphaar Cinema, New Delhi-110016

Nominated by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

11. Colonel S Dinny - Member
Lakshanam, Valathungal PO
Kollam, Kerala- 691011
12. Shri S Mohankumar, No.4, - Member
Palanisamy Nagar, Villianpur, Puducherry- 605110
13. Dr. Madhab prashad, - Member
Saraswati Vihar, Veerabhathi,
Bisht Estate, Nainital – 263127

EX-Officio Members

14. Secretary, Ministry of Corporate Affairs
15. Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs
16. Secretary, D/o Official Language and Hindi Advisor to the Govt. of India
17. Joint Secretary, D/o Official Language and Hindi Advisor to the Govt. of India
18. Director General of Corporate Affairs, MCA
19. Director, Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs
20. Chief Executive Officer (CEO), IEPFA, Ministry of Corporate Affairs
21. Director General And CEO, Indian Institute of Corporate Affairs, MCA

22. Chairperson, Competition Commission of India, MCA
23. Executive Director, Insolvency & Bankruptcy Board of India, MCA
24. Chairperson, National Financial Reporting Authority, MCA
25. Registrar, National Company Law Appellate Tribunal, MCA
26. Secretary, National Company Law Tribunal, MCA
27. Regional Director, (North Region), MCA
28. Sr. Economic Advisor/Joint Secretary (In-charge Official Language), Ministry of Corporate Affairs

- Member Secretary

FUNCTIONS OF THE SAMITI

The functions of Samiti are to render advice in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language Hindi contained in the Constitution, Official Languages Act and Rules, and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Department of Official Language relating to Official Language Hindi and also in regard to the Progressive use of Hindi in the Ministry of Corporate Affairs.

TENURE

The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its constitution provided that :

- A. A member, who is a Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.
- B. Ex-officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.
- C. If a vacancy arises in the Samiti due to resignation, death etc. of the member, the member appointed on the vacancy shall hold office for the residual term of three years.

T.A and other allowances

- (a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provision of the "Member of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954", as amended from time to time and rules made thereunder.
- (b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other Non-Official members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No.11/20034/04/86-OL (A-2) dated 22nd April, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

HEADQUARTER

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, and the venue for the meetings is also Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be sent to all Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries and Department of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SANTANU MITRA, Senior Economic Adviser